

कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 86 / 2023

कुलदीप सिंह पुत्र श्री कुशलपाल सिंह निवासी गॉव व पोस्ट मुरवारा, भरतपुर मो0 नं0
8890752295

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर

..रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 11.01.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त कुलदीप सिंह पुत्र श्री कुशलपाल सिंह निवासी गॉव व पोस्ट मुरवारा, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर के विरुद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/23/01 दिनांक 02.01.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से कोई भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

(2)

आरटीआई/अपील/2023/86
कुलदीप सिंह बनाम सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर

अपीलान्त को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर